



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2022 / 298

दर्ज तिथि:- 06.09.2022

1. पीराराम पुत्र गुमनाराम
जाति जाट निवासी केशरिया धाम, धोलानाडा तहसील नौखडा

.....वादी

बनाम

1. विरमाराम पुत्र करनाराम
2. जालाराम पुत्र करनाराम
3. नानगाराम पुत्र करनाराम
4. ओमाराम पुत्र करनाराम
5. धनाराम पुत्र करनाराम
6. किस्तूरीदेवी पत्नी करनाराम
7. भेराराम पुत्र आदाराम
जाति जाट निवासी केशरिया धाम, धोलानाडा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

8. शाखा प्रबन्धक जी.टी.जी.बी.सडा
9. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा राणा प्रताप बाजार गुढामालानी
10. तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण:-

वादी:- श्री बाबूलाल विश्नोई

प्रतिवादीगण:- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:- 12.08.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 141/0.0728 है0, 142/2.4200 है0, 43/0.1052 है0 वाके ग्राम केशरिया धाम तहसील नौखडा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/18-1/18 एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी की तरफ से साक्ष्य प्राप्त की जाकर अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार नौखडा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नौखडा द्वारा अपने पत्रांक/आर.ए./2024/1183 दिनांक 08.05.2024 के द्वारा कुर्रेजात

रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073-2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 141/0.0728 है0, 142/2.4200 है0, 43/0.1052 है0 वाके ग्राम केशरिया धाम तहसील नौखडा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/18-1/18 एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम

आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 141/0.0728 है0, 142/2.4200 है0, 43/0.1052 है0 वाके ग्राम केशरिया धाम तहसील नौखडा जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नौखडा को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
पीराराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	पूर्ण	142	0.8660	बा.दो.
किता 01 रकबा 0.8660 हैक्टेयर				
ओमा पुत्र करना	1/12			
किस्तूरी पत्नी करना	1/12			
जाला पुत्र करना	1/12			
धना पुत्र करना	1/12	141	0.0728	गे.मु.ढाणी
नानगा पुत्र करना	1/12	142	1.5540	बा.दो.
वीरमा पुत्र करना	1/12	43	0.1052	बा.दो.
भैरा पुत्र आदा जाति जाट सा. देह खातेदार रहन वीरमा का हि. SBI शाखा राणा प्रताप बाजार गुढामालानी व भैरा का हि. JGB शाखा सडा	1/2			
किता 03 रकबा 1.7320 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता की आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नौखडा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2022 / 298

दर्ज तिथि:- 06.09.2022

1. पीराराम पुत्र गुमनाराम
जाति जाट निवासी केशरिया धाम, धोलानाडा तहसील नौखडा

.....वादी

बनाम

1. विरमाराम पुत्र करनाराम
2. जालाराम पुत्र करनाराम
3. नानगाराम पुत्र करनाराम
4. ओमाराम पुत्र करनाराम
5. धनाराम पुत्र करनाराम
6. किस्तूरीदेवी पत्नी करनाराम
7. भेराराम पुत्र आदाराम
जाति जाट निवासी केशरिया धाम, धोलानाडा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

8. शाखा प्रबन्धक जी.टी.जी.बी.सडा
9. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा राणा प्रताप बाजार गुढामालानी
10. तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण:-

वादी:- श्री बाबूलाल विश्नोई

प्रतिवादीगण:- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 141/0.0728 है0, 142/2.4200 है0, 43/0.1052 है0 वाके ग्राम केशरिया धाम तहसील नौखडा जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नौखडा को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
पीराराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	पूर्ण	142	0.8660	बा.दो.
किता 01 रकबा 0.8660 हैक्टेयर				
ओमा पुत्र करना	1/12	141 142 43	0.0728 1.5540 0.1052	गे.मु.ढाणी बा.दो. बा.दो.
किस्तूरी पत्नी करना	1/12			
जाला पुत्र करना	1/12			
धना पुत्र करना	1/12			
नानगा पुत्र करना	1/12			
वीरमा पुत्र करना	1/12			
भैरा पुत्र आदा जाति जाट सा. देह खातेदार रहन वीरमा का हि. SBI शाखा राणा प्रताप बाजार गुढामालानी व भैरा का हि. JGGB शाखा सडा	1/2			
किता 03 रकबा 1.7320 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता की आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

सत्यमेव जयते

गुढामालानी